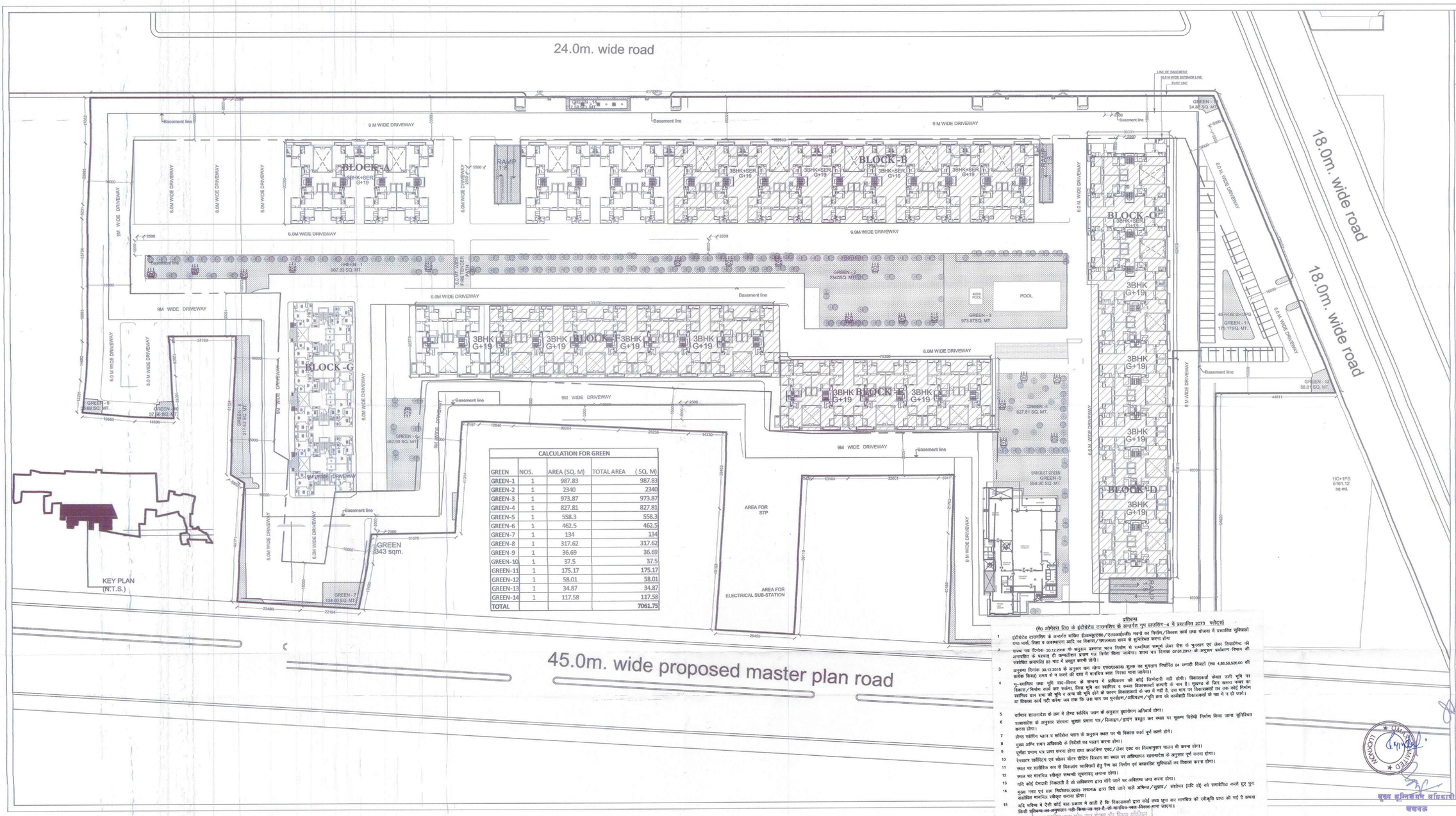

CALCULATION FOR GREEN			
GREEN	NOS.	AREA (SQ. M)	TOTAL AREA (SQ. M)
GREEN-1	1	987.83	987.83
GREEN-2	1	2340	2340
GREEN-3	1	973.87	973.87
GREEN-4	1	827.81	827.81
GREEN-5	1	558.3	558.3
GREEN-6	1	462.5	462.5
GREEN-7	1	134	134
GREEN-8	1	317.62	317.62
GREEN-9	1	36.69	36.69
GREEN-10	1	37.5	37.5
GREEN-11	1	175.17	175.17
GREEN-12	1	58.01	58.01
GREEN-13	1	34.87	34.87
GREEN-14	1	117.58	117.58
TOTAL			7061.75

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT

PROPOSED GROUP HOUSING-4
IN OMAXE INTEGRATED
TOWNSHIP AT SULTANPUR
ROAD , LUCKNOW (U.P.)

NOTES

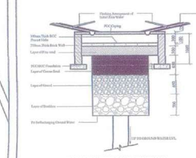

RAIN WATER HARVESTING

DRAINAGE SYSTEM

RAIN WATER HARVESTING PIT

DRAWING TITLE

FIRE FIGHTING SUBMISSION DRAWING
LANDSCAPE PLAN

SCALE	DATE
1:500	28-06-2016

यह मानचित्र लेखनक महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।
(Building bye laws 2008, ammended on 2016)

CLIENT/ OWNERS

OMAXE LIMITED
(FORMERLY OMAXE INFO. TECH. LIMITED)

Sindhu Singh
B. Tech (Civil Engg.)
M. Tech Env. Engg. & Mgmt, IIT Kharagpur

Deepak Vashista
CA/2003/32557

ARCHITECT'S SIGNATURES | OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER- GH/OMAXE/SULTANPUR/LKO/SP-02

प्रतिबन्ध

(ख) ओमेक्स सि० के इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग-4 में प्रस्तावित 2073 फ्लैट्स)

1 इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत वाणिज्य ईकाइयाँ/एस०एस०सी०पी० भवनों का निर्माण/विकास कार्य उक्त योजना में प्रस्तावित सुविधाओं यथा पार्क, सिडा व अवस्थापना आदि का विकास/उपलब्धता शपथ के सुनिश्चित करना होगा

2 शपथ पत्र दिनांक 30.12.2016 के अनुसार प्रस्तावा भवन निर्माण से सम्बन्धित सम्पूर्ण लेबर सेस के भुगतान एवं लेबर डिपार्टमेन्ट की अनापत्ति के पश्चात ही कम्पलीशन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। शपथ पत्र दिनांक 07.01.2017 के अनुसार पर्यावरण नियमन की संशोधित अनापत्ति 03 माह में प्रस्तुत करनी होगी।

3 अनुबन्ध दिनांक 30.12.2016 के अनुसार कुल सेल एस०एस०आर० शुल्क का भुगतान निर्धारित 04 समान किस्तों (रू० 4,86,50,526.00 की प्रत्येक किस्त) शपथ की ये करारी की दरा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4 भू-स्वामित्व तथा भूमि शार्ट-मियाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता सेक्टर उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विक्रयकर्ता अभागी के नाम है। मुख्यतः के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व दान तथा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विक्रयकर्ता के पास में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता एम एक कोई निर्माण का विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

5 राष्ट्रीय शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कैपिंग प्लान के अनुसार क्षतिपूरण अनिवार्य होगा।

6 शासनादेश के अनुसार संरचना सुरक्षा प्रमाण पत्र/डिजाइन/ड्राइंग प्रस्तुत कर स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

7 लैण्ड स्कैपिंग प्लान व वार्डिकल प्लान के अनुरूप स्थल पर पौधे विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।

8 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

9 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा क्वार्टरमास्टर एण्ड/लेबर एण्ड का नियमानुसार पालन भी करना होगा।

10 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

11 स्थल पर शारीरिक रूप से निरूपण व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

12 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।

13 यदि कोई ऐन्टराटी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

14 सुधा नगर एवं ग्राम नियोजक/ग्राम लखनऊ द्वारा दिये जाने वाले अभिमत/सुझाव/ संशोधन (यदि हो) को समावेशित करते हुए पुनः संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

15 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्राधिकरण का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र स्वतः प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस अभिन्यास सहित स्वीकृत किया जाता है कि नियत प्राधिकरण भूमि विभाग स्वामित्व के लिए जिम्मेदार कार्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 40951
दिनांक 31-12-2016
स्वीकृत वैधता दिनांक 30-12-2021
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

पत्र सं० 2241/30 / 2017(2017)/Lucknow
दिनांक 4-1-17 की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित किया गया।

(शैलनाथ यादव)
अग्निशमन अधिकारी
गोमती नगर, लखनऊ

संयुक्त निदेशक(पी०)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ० प्र०, लखनऊ